provide for the compulsory identification of illegal immigrants to the country from the neighbouring countries and those foreign nationals who are overstaying in the country or have gone missing after the expiry of their visas and for their deportation to their countries of origin by setting up a National Commission for that purpose and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

The Promotion of Two-child Norm Bill, 2006

SHRI B.J. PANDA(Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the promotion of two-child norm to control population explosion by the State so as to make it commensurate with its economic and social development and with the ecological balance through incentives and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

The Persons Affected by Naxalite Terrorism (Relief and Rehabilitation) Bill, 2006

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the relief, compensation and rehabilitation measures through employment and other means for the persons affected by Naxalite or Maoist terrorism in various parts of the country particularly in Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, etc. and for matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI B.J. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004 (AMENDMENT OF ARTICLES 341 AND 342)—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now we shall take up the consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Amendment of articles 341 and 342). When the House adjourned on 28th July,

Shri Santosh Bagrodia had not concluded while participating in the discussion. Now, Shri Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, It was not that, pardon me for saying this, i had not concluded but I had hardly started.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Fine.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: do not know what wrong I did on that day. I made a very simple statement and my good friend, Mr. Narayanasamy—Mr Jothi also who is not here— said the world over, "people are not fighting for reservation". It is only in India that people are fighting for reservation and then he also said 'I take strong exception to it because unless and until people fight for their right in India they will not get it'. Sir, I do not know what he has taken exception to. I have not used the word 'reservation' in my opening remarks at all. Nowhere. Whatever English language I understand and I know, he knows English better than me but I do not know which word I have used which he thought he should take exception to. I only said, this is the only country in the world — I would like to underline, this is the only country in the world — where people fight with each other to get themselves declared as backward. I do not know what made him object to it. That is entirely his choice but I feel if he is more attentive, he will do justice like Ahluwaliaji who made a good speech yesterday; he would also do justice.

SHRI V. NARAYANASAMY(Pondicherry): (interruptions) I will reply to all your points.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, he behaves like a Minister. I have not told him to reply. Let him say whatever he wants to say. But I just wanted to make a point.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is as good as a Minister.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Words should not be put in other Members' mouth. India has a very old culture. It is thousands of years old. It is not a new culture like American Continent etc., which was probably discovered by Columbus or somebody. Indians are the natural citizens of the country. They are the natural people of the country. These were the people who were the original people of the country and these are the

people who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes or people who are still not fully developed. We are talking about these natural people who are living here. Most of the people, as you know by history, have come from different parts of the world. But these people never came from outside. They might have gone outside, which I will express later on, but they are born here thousands and thousands of years ago. It is about these kinds of people we are talking here, Sir. I compliment the hon. Member because this particular Bill proposes to remove the complex distance between the SC lists in various States. Sir, if a community faces deprivation in one State it ought to suffer similar deprivation in other States, unless proved otherwise. Now, this is a very peculiar situation. In one State, one community is declared backward or SC or ST. In other States, some other communities are declared. But the Indian Union is one. I cannot understand. One community in one particular State is backward and in the other States, it is different. You will be amazed to know, once I said, 'I want to become SC. Sir, in Bihar, *Baniyas* are also backward. Nowhere else in the country, only in Bihar it is backward. This is a very peculiar situation. Obviously, other places...

श्री मांगनी लाल मंडल (बिहार): सर, ऐसी बात नहीं हैं। बिहार में सभी बनिए बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं। अग्रवाल हमारे यहां पिछड़ी जाती में अर्थात् ओ.बी.सी. में नहीं हैं। हमारे यहां जो गुप्ता जी हैं, जो बिहार से राज्य सभा में हैं, इनका टाइटल गुप्ता हैं, लेकिन यह ओ.बी.सी. में नहीं आते हैं हमारे जो यहां तेली, सूरी, कलवार निम्न स्तर की जाति में आते हैं,जिनके बारे में कई तरह की कविदंतियां ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बनाकर रखी गई थीं, वे पिछड़ी जाति में हैं,लेकिन यह जो गुप्ता हैं, यह ऊंची जाति के हैं। तो जो सामजिक और शैक्षणिक आधार संवैधानिक हैं, उसी आधार पर वह बनिया की जाति से पिछड़ी जाति के हैं, सारे बनिए इसमें नहीं आते हैं। सुशील मोदी,जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो हमारे यहां के हैं, वे अगड़ी जाति के हैं, ओ.बी.सी. में नहीं आते हैं। इसलिए बागडोदिया साहब को पूरी स्थिति जान लेनी चाहिए, तब कहना चाहिए।

श्री संतोष बागडोदिया: सर, स्थिति का थोड़ा-बहुत ज्ञान देने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मुझे ज्ञान मिला, इसके लिए आपको बहूत-बहुत धन्यवाद, लेकिन यह जो आप बोल रहे हैं, तेली इन्होने खुद ही कहा कि तेली बनिए होते हैं, तेली तो सारे हिन्दुस्तान में बनिए हें, आप भी इस स्थिति को समझ लीजिए। और अगर मैं ठीक कहता हूं तो वह एक बनियों का सेक्ट हैं और उसको आप खुद कहते है कि वह बैकवर्ड हैं बिहार में, तो मैंने ऐसी कौन-सी गलती कर दी। मैंने यह नहीं कहा कि सारे बनिए, बनियों का एक सेक्ट अगर हैं, तो वह भी तो एक(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there is a conflict of interest. The hon. Members, who belong to the same community, are talking about that community.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I don't know what kind of conflict of interest is there. Shri Narayanasamy has to, again, teach me what is conflict of interest and what is not. I don't know to which community he belongs. And, I don't know if he has ever spoken about that community. But, how many people of the same community speak for their own community. You go and see the record. Sir, if an intelligent and very old colleague of mine says like this, I can only feel sorry for him. I have no objection. He can speak whatever he likes. But, he will only cut a sorry figure in the entire House if he speaks on illogical things. I have no problem.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please come to your point.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I was saying that Banias need not be in the OBC List or the Backward Class List. I am not trying to propagate that at all. I am only trying to tell you that this is the anomaly and that is why this Bill is required. The immediate objective of the Bill is to remove a complicated discrepancy between the State List of Jharkhand, Chhattisgarh and Assam. Now, labourers, mostly belonged to the marginalized sections of the undivided Bihar and Madhya Pradesh, were taken to Assam by the British tea planters some 150 years ago. After Independence, while these communities were included in the SC List of their respective States of origin, they have denied the SC status in Assam where they have been working in tea gardens for generations now. Sir, you will be amazed to know that before Independence, even in Assam, these communities were declared as SCs. It was only after Independence, they were not declared as SCs. It is, definitely, a very peculiar situation. And, their father says, 'I am SC Their sisters say, 'I am SC Their brothers, who stayed in Jharkhand or Bihar or Madhya Pradesh say, 'We are SCs. And they are declared as SCs. But, since they have gone to Assam, they are not SCs! Obviously, one can understand that this kind of discrimination, definitely, affects the sentiments and morals within the same family. It is because of this facility one family member can go ahead in life, others don't. It is not correct. There should be equality, at least, among their own brothers. Sir, there are many Commissions like the Dhewar Commission, the Pataskar

Commission, the Chanda Commission and the Lokur Commission, As you know, most of the Governments — now and ealier — appoint Commission-after-Commission. So many Commissions were appointed. They visited Assam. They examined the lifestyle of these migrants and all the Commissions have found that the plight of these people has not been changed. They also gave recommendations. But, still nothing has happened. At this point, I would like to mention that a delegation of Ministers and MLAs from Assam, led by Mr. Prithvi Maji, Speaker, Vidhan Sabha, Assam, met the then Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Satyanarayana Jatiya. The delegation talked about 60-lakh of Oran, Munda, Santal, Karia, Tasa, etc., communities, commonly known as tea tribes in Assam, presented a Memorandum to the Minister requesting for inclusion of these communities in the ST category and introduction of a Bill in Parliament to this effect. The Memorandum further stated that their counterparts in the States of Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand, Tripura are all recognised as STs. They contended that there are about 75 of these communities, basically, belonging to the Scheduled Tribes, but these tribes have been deprived of the benefits and privileges of this status, as they are not yet recognised by the Government as tribes. Sir, as per the law, the State Government should pass it within its own Assembly. The present Government in the Assam Assembly have recently adopted a Resolution urging upon the Central Government for granting the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes status to the deserving community of tea garden labourers in Assam. That means that formality has also been completed by the Assam Government. Sir, the State Government has also recommended to the Central Government, not only the legislature but also the executive.

In view of this, I strongly recommend that when so many steps have already been taken, there is no reason why they should be deprived of this benefit in the future. So, I am sure hon. Minister that after this Bill is passed, this anomaly will be over.

Now, this is a Private Members' Bill. It has happened in the past, I think, once or twice, when a Private Members' Bill was converted into an official Bill. I request the hon. Minister to either convert it into an official Bill, or, give some kind of an assurance that within this time-limit a new Bill from the Government will come, so that this anomaly is over once and for all. It is unfortunate that even after 50 years, communities have to go on

strike for the special compensation under SC status to seek opportunities for development. This is unfortunate, but this is a fact of life. I fully support the view that as long as they don't come at par with other communities — years are not important, the results are important — they should not be deprived of this benefit. Originally, reservation was started for ten years. It went on for ten years. Then, after every ten years, it was extended. I think, if we have to increase this period to another fifty years, it doesn't matter. The important thing is how to increase the pace of the real efforts by the Government and other communities so that these communities can come at par with other communities. Laws only are not going to solve the problem. This mindset has to come in every citizen of the country. For the information of my friend, Shri Narayanasamy... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't provoke him.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He has become cold now, Sir. He won't be provoked ... (Interruptions)... Sir, there are individuals who are seeking opportunities on the basis of forged and fake caste certificates. Of course, that has to be stopped. Because, if somebody is taking an advantage on fake certificates, obviously, to that extent, somebody else from that community is being deprived. It is also unfortunate to see that indentured labourers are taken to distant lands like Fiji, or, Caribbean. Sir, as you know, at one time, a little above 50 per cent of population in Fiji was from India. And, in fact, we had an Indian who was the Prime Minister of that country. Shri Mahendra Chaudhary. We are all proud of him. People like him went there, because their ancestors had gone their as labourers. But with their hard work, with their dedicated efforts these people established themselves. I am not going into history what happened with them locally. But they are suffering. He came here and met some of us. He did tells us that even now how hard it is for them to remain in those countries and struggle for their survival. The same thing is happening in Carribbean. They have contributed in their own country and they have brought laurels for our country also. It is for this reason that our Government celebrates days like Pravasi Divas to honour these people who have gone from our country and established themselves there. We seek their expertise also and ask them to be our Ambassadors in those countries to have better relations between India and those countries. That's how with the opening of the economy in our country these people can contribute a lot. As you know, Sir, you come from a State where the economy of the State has

gone very high. One of the reasons for this is the contribution from their daughters and sons who have gone abroad from that State; they are contributing in the welfare of their State. This goes in a big way. On the other hand, the brethren of those indentured labourers who remained in India, but were uprooted from their places to work for *Gaura* sites and plantations, remained a wretched lot. I am coming back to this. They are the same brothers; somebody went there, somebody went to Assam, somebody went to other places in the country.

Sir, I may tell you, Punjab is known as the granary of India, they supply a bulk of food for the country. But let me tell you if these migrant workers don't go there, or, had not gone there, even the farming in Punjab and Haryana would have been a big problem. These are the labourers who are working very had in those States also. That's how the country has finally become self-sufficient in the foodgrains. Even in Delhi, for example, the migrant construction labourers from the neighbouring State, to which I belong, that is, Rajasthan come. At this stage, I would like to draw the attention of the House it is a wrong myth that anybody coming from Rajasthan is multi-millionaire. It is not true. In fact, the percentage of the poor people in Rajasthan is much more than most of the States in the country. Those people, who had gone outside Rajasthan, have become much better off. But they are no more in Rajasthan. So, the people who are left over are not better off. And, if you consider the percentage of those people it is much more; and, in comparison to other developed States, like, Maharashtra, Gujarat, Punjab, they are much poorer than the people of other States. So, these construction labourers remain at the verge of life without any prospect of a better life, nor any promise for their future generations. They have a very hostile futures. In such conditions of abject hopelessness that community is taking desperate recourse to the affirmative discrimination. These measures are not meant for the better off sections. These migrant labourers are the rightful beneficiaries of reservations meant for SCs or STs or, I will say, OBCs. I, therefore, call upon the Government to remove the typical and administrative glitches to enable migrant labourers to avail the benefits of the Government's positive discrimination. No effort can ameliorate the historical wrongs, but we cannot rewrite the history, but we can change the course of future. I know what has happened has happened. Just because it has happened, should we remain guiet? At least, we can do many things for the future of their children.

We need to redouble our efforts. As I said, we have to increase the pace of development. We have to redouble our efforts to empower them to join the mainstream. However, positive discrimination should not lead to social tension. It should be based on broad social consensus. Sir, positive discrimination is not about only the job reservation. That is one side of the story, which has created social tensions. It is also about giving them share in economic empowerment. This morning only our able Minister, the Minister for Small Scale Industries and Agro & Rural Industries, was at his best in this House. And, I can tell you, under him, the people who are employed all over the country in the villages, who are the poorest of the poor are mostly from these countries — whether they are artisans, or, they are having small, small, very tiny industries. And, even in Khadi production he knows more than me. He has more information available at his command. Even in Khadi production, the maximum number of people who are employed there in the country belong to SC/ST communities. They are the people who are still maintaining the tradition of the country So,...(Time-bell)... we have to give them share in economic empowerment.

Sir, if I close, I think, you will have a problem. You know why? Because I am, probably, the last speaker and there is nobody *to...(Interruptions)*.

श्री मांगनी लाल मंडल : सर, हम लोग भी बोलने वाले हैं।(व्यवधान)... सर, मैं भी बोलने वाला हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. It is not like that. There are seven more Members.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I stand corrected. I was told that. ...(Interruptions)... Sir, I am grateful to you for this information because my own Chief Whip gives me wrong information and, then, goes on correcting it, amending it. ...(Interruptions)... Sir, I need your protection.

SHRI V. NARAYANASAMY: If I gave you some information two weeks back, would you take it granted for today also? ...(Interruptions)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, you protect me from my Chief Whip.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But, at least, he has corrected it. ...(Interruptions)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will finish it fast.

3.00 P. M.

In this regard, the record of some States in delivering and disbursing Special Central Assistance, meant for SCs, has been very dismal. In fact, in several States, like, UP, Karnataka, West Bengal, Orissa, the number of beneficiaries of Special Central Assistance has already gone down during the period 2002-03 to 2005-06. The State governments of certain States do not make matching contributions under the Scheme, thereby the Central finance allocated for the Scheme remains unutilised. In 2005-06, only 62 per cent of the finance, released by the Centre, could be used by the States. Sir, this is a very peculiar situation. I want that this effort should be doubled. The Centre has funds; but the States don't use them. Then, how do they expect these under-privileged people to grow, if they don't use funds meant for them? Sir, some States do not even keep proper data. As a result of this kind of indifferent implementation by the States, the children and women are the worst sufferers of the Government's apathy. Remember, Sir, the women among the marginalised sections are more skilled and can bring the economic empowerment to the family, if they are given assistance through micro credit. And, there is no shortage of micro credits. I can tell you with authority. The bankers have given us the information that there is hundred per cent success rate in this. There are no NPAs in micro credit; hundred per cent money comes back with interest. That is why I was going to tell our hon. Minister that let us not say that there is shortage of funds. There is no shortage of funds. There are enough funds with the Central Government. There are enough funds with the bankers. But somebody has to use them. That effort has to be made by the State Government and also, of course, by his Ministry.

I call upon the Government to engage the State Governments in implementing the Centrally-aided assistance programmes more earnestly. Sir, the performance of agencies like the National SC/ST Finance and Development Corporation needs to be further improved.

Finally, Sir, I want to say ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, yes; please. Yes; finally conclude.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Finally, Sir, I would like to say that if this House and each one of us sitting here and the Government resolves that we take the full responsibility that all these communities, SCs/STs or the other deprived communities in the country, all over the country, should be

on a par with the rest of the communities, then only probably, in the next two or three or four or five years, it can happen, and then only India will develop. India will be more peaceful; India will be the best country in the world; India will be the proudest country in the world and India will become the most important country in the world. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, see, Mr. Ali Anwar wants to catch the train and Mr. Narayanasamy wants to catch the flight. So, first, I am calling Mr. Ali Anwar; but take only five minutes. Only on that condition, I am calling you because I had to call Mr. Narayanasamy.

श्री अनवर अली (बिहार): सर हमारी maiden speech हैं, ऐसा मत कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Then let Mr. Narayanasamy speak. After him, you can speak. ...(Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: Sir, it is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is correct. Then, let Mr. Narayanasamy speak. After that, you can speak.

श्री अली अनवरः नारायणसामी साहब कितनी देर बोलेंगे? वे कितना वक्त लेंगे?

श्री वी. नारायणसामी : दस मिनट ... दस मिनट।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कृरियन) : वे दस मिनट लेंगे।

श्री अली अनवर:ठीक हैं, फिर बुलवा लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay; okay; Mr. Narayanasamy.

SHRI V NARAYANASAMY: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on a very important Bill moved by hon. Member, Shri Silvius Condpan, who was also a Minister and the Leader of the Opposition in the Assam Legislative Assembly.

Sir, the aim of the Bill is to protect the interests of the people who are migrants from one State to the other; and the benefits enjoyed by them in their State should be given to them in the State where they have migrated. They should also get the advantages in the other State where they are going.

Sir, initially while making his speech, hon. senior Member of this House, Shri Santosh Bagrodia, was making certain remarks about me. ...(Interruptions)....

SHRI ANTOSH BAGRODIA: I would request him, 'not to provoke me'.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I said that I would react at the time when I speak. He has also agreed on that at that time. Sir, last time, when he spoke, he started his speech by saying 'India is the only country where the people are fighting for reservation'.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No. Again, Sir, I have quoted that I have not-used the world 'reservation' at all. It says very clearly ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There is no need to repeat it...(Interruptions).... That is on record; it is all right.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it is a question of my credibility.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. Mr. Bagrodia did not mention reservation. He did not use the word 'reservation'.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, he is trying to destroy my character, my image...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Bagrodia did not use the word 'reservation'. That has been made it clear in his speech.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: After so many days, he has not gone through the records. I said that I have not used the word 'reservation'. And still, he is saying this.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In your speech, you have made it very clear and so, you need not repeat it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it is an intentional effort to destroy my character, my image, and you must stop him. You must give me protection because the records say it differently. He is misleading.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let him speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in India, whether it be the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Backward Classes, only by fighting with the establishment for their rights, be it education or employment, they were able to achieve it. That had been the history. Dr. Baba Saheb Ambedkar fought for reservation for the SCs and STs and Mandal was responsible for brining in reservation for Backward Classes. Nobody can change this fact; it is part of history.

Now, the issue is very critical, which the hon. Minister alone could resolve. Sir, in every State, when people belonging to a particular community want to be categorised as Scheduled Castes of that State. The Commission and the State Government put in all their efforts.

Sir, as you know, it is very difficult to convince the Commission and the State Government. The State Government makes recommendations, and the SC/ST Commission or Backward Classes Commission also make recommendations for certain communities to be considered as either Backward Classes or SCs and STs. Then, the recommendations are sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment. But, it is unfortunate that a decision in the matter is not taken even after two or three years. The State Government sends reminders and so does the Commission. When the State Government is convinced, when the Commission is convinced, why should the Ministry stand in between? That is the point I would like to make.

Sir, before going into the subject, in my State, people belonging to the Scheduled Tribes, who have been traditionally working in the fields, have not been recognised even after 40 years. The State Assembly has passed a Resolution, the Commission has made recommendations, and still, no decision has been taken. We have sent a representation to the Home Ministry and also to the Ministry of Social Justice and Empowerment for recognizing the particular community as a Scheduled Tribe community in the State.

Sir, this case, which the hon. Member, Shri Silvius Condpan, has brought forth before this august House, is very justificable, for the simple reason that if those people had remained in their State, they could have enjoyed the benefits accruing to them as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in that State. When they migrate to other States for the purpose of employment, they must also carry the rights accruing to the communities in their State of origin.

Sir, another distinction has also been made; it is accepted in West Bengal, it is accepted in Tripura, but not is Assam. Why is that so? The State Government had recommended it; the State Assembly had passed the Resolution and thereafter, the issue was taken up with the Central Government several times by the State Government concerned. When the State Government is convinced and when the Commission has also

recommended it, then, the Central Government needs to consider it and see to it that the amendment is brought in.

Sir, you are aware of the pitiable conditions of the tribal people working in the plantation areas. They must get some advantages from the Government. If they were declared as Scheduled Tribes or Scheduled Castes in that State, they would be accruing the benefits given to them by the concerned State Government; but if they are recognized as Backward Classes or as any other community, they will not be able to get the advantages. Therefore, this Bill has been brought forward by the hon. Member, who has been pioneering the cause of tea plantation workers, to enable these communities to enjoy the SC/ST status. Another wider issue which the hon. Minister has to consider is regarding the Scheduled Castes Christians—Scheduled Castes people, belonging to the Hindu religion, who have embraced Christian religion. Though they are the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they have been denied the benefits which have been accruing to the people who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Sir, in this august House, in the year 1996,1 brought a Private Members' Resolution for giving benefits to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes even if they have been converted into the Christians. Several Legislative Assemblies have also passed a Resolution. In Tamil Nadu, advantages are being given to them; in Pondicherry, advantages are being given to them on par with the SC/ST communities. If you go through the history, the customs, the conventions and the way of living of people, they are similar because they are from one family and they are brothers and sisters. If one brother embraces Christianity and lives in that cluster or he lives in the family but embraces another religion, he is being denied the advantages and benefits which have been given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community. Sir, neo-Buddhists got it. People who have embraced Buddhism have been given advantages. People who have embraced Sikhism have been given advantages. Religion is not a bar for people, who have been embracing another religion, to get the advantages. I can embrace any religion, nobody can stop me. It does not mean that I have left my caste. If I am following a particular religion, I should not be deprived of the advantages that I have been getting. Kindly see the situation on the ground. When the Government is giving. ... (Interruptions)...

SHRI SURESH BHARDWAJ (Himachal Pradesh): There is no casteism in the Christianity or Islam. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't interrupt. ... (Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: This is the theory which the BJP is propagating. ...(Interruptions)... This is the theory which the BJP is propagating in this country. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't bring in politics. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: If Hinduism is there, everything is there. If they go to another religion, you get offended. ...(Interruptions)... Sir, in one family there are two brothers. ...(interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): That was the wrong statement made by the hon. Member. ...(Interruptions)...

SHRI V NARAYANASAMY: Sir, there are two brothers. ...(Interruptions)...

SHRI SHREEGOPAL VYAS (Chhatisgarh): Sir, ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): When your turn comes, then speak. ...(Interruptions)... Don't interrupt. ...(Interruptions)... Do you yield? ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Let him speak. I have no problem.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: I want to speak briefly. Those who advocate Christianity, they do it on the basis of informing the so-called converts that because they are in such and such community, they are not getting the advantages. Once you become a Christian, you will get the advantages. The question, therefore, arises. ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: That is a wrong statement....(Interruptions)...

SHRI SHREEGOPAL VYAS: This is what the people say. ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: This is a wrong statement. ...(Interruptions)... You are giving a wrong information in this House. ...(Interruptions)...

SHRI SHREEGOPAL VYAS: This is an information that I have. ...(Interruptions)...

SHRI SURESH BHARDWAJ: There is no casteism in the Christianity or the Islam....(Interruptions)...

SHRI SHREEGOPAL WAS: This is my submission to you, Sir. ...(Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: When massacre took place, Mr. David was killed not because he was Christian, but because he was *Dalit*; Christianity does not stop the *Dalit* being massacred. What will you answer for this? I would like to request you to kindly study before making a statement because you are held in high esteem by the. ...(Interruptions)...

SHRI SURESH BHARDWAJ: First you study. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is enough. ...(Interruptions)... Don't argue. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: The argument given by the hon. Member is that if you go to the Christianity you will get advantages and, therefore, they are luring them to embrace Christianity. This is a wrong statement by the hon. Member, Without knowing the real facts, he is mentioning it. Sir, as we are from the villages, we see the people. ...(Interruptions)...

SHRI SHREEGOPAL VYAS: He is misquoting me. Please allow me to say what I have said. I have not said that you will get more advantages by becoming Christian. What I am saying is: the theory that they plead is that people are suffering because they belong to Hinduism. There are no castes in Christianity. Therefore, people should come to Christianity. This is what I have said. I know that Shri Narayanasamy is a good orator, but he should not try to put words in my mouth.

SHRI V. NARAYANASAMY: Let me explain for the benefit of the hon. Member from BJP Simply because somebody belongs to other religion, we should not blindly oppose him. Let us see the ground situation there. Two brothers, in a family, are living side by side. One is following Christianity and the other is following Hinduism. Both the brothers socialise with each other for all the family functions. They live together. They plough the land. They do all the customary rituals. They perform all the *Poojas*. One brother goes to the Church; another goes to the temple. But, when it comes to the question of advantages given by the Government, whether it is 'free rice scheme' or other advantages given by the Social Welfare Department, the brother belonging to Christian community has been ignored and he has

not been given the advantages stating that he belongs to Christian community. Now, where is the logic in it? Therefore, Sir, religion should not be a bar for anybody in getting the advantages from the Government because the policy of the Government is to uplift the poor people, the downtrodden people, above poverty line. That is the idea of the Government. Therefore, religion is not a bar. When I had brought the Bill, I would like to tell that Shri Ram Vilas Paswan was the concerned Minister at that time. At that time, he gave an assurance on the floor of this House. He said that he would give benefit to the Dalit Christians and he would bring in an amendment in this House. So far, it has not been done. I would like to remind the hon. Minister that this is the demand throughout the country. especially the people belonging to Southern States. Sir, you know the position in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, the people who are living in those States, even in Northern States, the people, the Dalit Christians, whether they belong to Christian community, or they convert to Christianity, should not be deprived of the benefits and advantages given by the Government to people belonging to other communities. I would like to drive home this point. I request the hon. Minister to respond on the assurance which was given by Shri Paswanji.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude now.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, with only two words, I am winding up. This one argument which I would like to put here is regarding the people who have been working in a very poor condition in tea plantation. For how long can the State Government of Assam take up the issue with the Central Government without the Central Government deciding the matter and keeping it pending? The Assembly Resolution is there. Then, political parties have unanimously resolved on this matter, and thereafter, there is public opinion because people migrate for their livelihood. They settle down there. For 40 years, 50 years, 100 years, they have been living there and their living condition has not improved. Therefore, they want to come up in life. They need some protection from the Government. The Government should recognise the community to which they belonged in the State of their origin before migrating to the present State. It should also be extended to Assam and Tripura. Therefore, I support the Constitution Amendment which has been moved by the hon. Member, Shri Silvius Condpan. I request the hon. Minister to consider this and bring in an Amendment, as early as possible, to resolve the issue.

श्री अनवर अली: थेक्यू चेयरमैन साहब। महोदय, पिछली 28 जुलाई को जब इस बिल पर बहस हो रही थी, तो संयोग से आप ही चेयर पर ये और आपको याद होगा कि बहस के दरम्यान माननीय सदस्य मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी साहब और मेरे बीच थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी और बैठक बीच में 5 मिनट पहले खत्म करनी पड़ी। मुझे याद हैं कि आप ने मुझ से पूछा था यह नोकं-झोंक किस बात पर हुई।शायद भाषा के चलते आपको यह दिक्कत हो रही थी। महोदय, आज भी उसी तरह की नोक-झोंक व्यास जी और नारायणसामी जी के बीच में हुई हैं।

महोदय, अभी यहां ईसाई समुदाय की बातें आई हैं। आम तौर पर लोग यह समझते हैं कि मुसलमानों के बीच और ईसाईयों के बीच कोई जातीय भेदभाव नहीं हैं, ऊंच-नीच की कोई तफरीक नहीं हैं। महोदय, मैं मुसलमान समाज के बारे में अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस विषय पर अध्ययन किया हैं। मैने इस पर कई किताबें लिखी हैं। अगर उस से भी एक कदम आगे बढ़कर कहूं तो मैने वह जीवन जिया हैं। इस बुनियाद पर मै कहना चाहता हूं कि उसूलन इस्लाम के अन्दर कोई तफरीक या भेदभाव नहीं हैं, लेकिन अमलन या व्यवहार में मुस्लिम समाज के अंदर जिस तरह से ईसाई समाज के हमारे भाई बता रहे थे, मुस्लिम समाज के अंदर भी वह भेदभाव मौजूद हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं हो रही हें कि कई जगहों पर तो भेदभाव हिन्दू समाज से भी ज्यादा हैं। हिन्दू समाज में तो उस भेदभाव के खिलाफ हजारों साल की लड़ाई का भी इतिहास हैं। अगर वहां वर्ण-व्यवस्था हैं, छुआ-छुत हैं तो उस के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी गयी हैं और हिन्दू समाज अपनी इस बीमारी को छूपाता भी नहीं हैं। उनकें यहां कई ऐसे समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होने इस बीमारी के खिलाफ आवाज उठायी, लड़ाई लड़ी और अपनी जिदंगी को वक्फ कर दिया। लेकिन मायनोरिटी के अंदर शायद एक "साइकी" भी होती हैं कि वह अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता हैं और शायद इस नाते से मुस्लिम समाज ने भी इस बीमारी को अब तक छुपाने की कोशिश की हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब वह जख्म नासूर का रूप ले चुका हैं और इसलिए यह बात सामने आ रही हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत हैं। इसलिए यह जो बिल आया हैं, इस का हम अपनी तरफ से और अपनी पार्टी जनता दल (यू) की तरफ से पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारे नेता नीतिश कुमार ने भी मुख्य मंत्री बनने से पहले पार्लियमेंट में अपना आखिरी खुतबा इसी सवाल पर किया था कि ईसाईयों और मुसलमानों को भी शेडयूल कास्ट स्टेटस मिलना चाहिए। उन के अंदर भी जात-पांत, छुआ-छुत का भेदभाव हैं, सामजिक वर्गीकरण हैं। इसलिए उन को भी वह स्टेटस और दर्जा मिलना चाहिए। महोदय, मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यह कोई अभी की बात नहीं हैं। मैं यहां 1901 की जनगणना रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं जिस में 133 जातियों की पहचान की गयी थी, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से मुसलमान थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिम समाज मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त हैं — अशरफ और अजलाफ

अरजाल। पहले भाग में कुलीन तथा उच्च परिवार के लोग आते हैं। इस में भी दो भाग हैं-पहले वे जिन का खून विदेशी हैं और जो अरब, परिशया, तुर्की या अफगानिस्तान से आकर यहां बस गए। दूसरे वे सवर्ण हिन्दू, जो धर्म बदलकर मुसलमान बन गए, अजलाफ में हिन्दूओं की नीची जाति से धर्म-परिवर्तन कर मुसलमान लोग आते हैं। मुसलमानों की तीसरी श्रेणी, जिसके बारे में 1901 की जनगणना रिपोर्ट कहती हैं, कुछ स्थानों पर तीसरा वर्ग भी हैं, जो अरजाल अथवा नीची जातियों में भी, सबसे नीचे आते हैं। इनमें हलालखोर, लालबेगी, अबदाल और बंदिया आदि शामिल हैं। इनके साथ कोई दूसरा मुसलमान सम्बन्ध नहीं जोड़ता और जिन्हे मस्जिदों में जाने की मनाही हैं। ये सार्वजानिक दफनगाह का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

महोदय, यह मौका नहीं हैं, लेकिन मैंने इस पर अध्ययन किया हैं। मस्जिदें अलग अलग हैं, कब्रिस्तान अलग-अलग हैं। ये सिर्फ मुसलमान समाज की ही बीमारी नहीं हैं, ईसाई समाज में भी जो दलित ईसाई हैं, उनके भी चर्च अलग-अलग हैं, उनके भी कब्रिस्तान अलग-अलग हैं। इसलिए नाम भी मिलता-जुलता हैं, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक हैं। उधर एक मुस्लिम धोबी हैं, तो इधर हिन्दू धोबी शैडयूल्ड कास्ट हैं, तो मुसलमान धोबी शैडयूल्ड कास्ट क्यों नहीं होगा? कपड़ा वह भी धोता हैं, कपड़ा वो भी धोता हैं। उनका नाम श्याम रजक हैं, वह मिनिस्टर बनता हैं और यहां रहमान रजक हैं, जो धोबी घाट पर गधे के साथ कपड़ा धोते-धोते वहीं मर जाता हैं। वहां मिनिस्टर होता हैं, वहां आई.ए.एस. होता हैं और यहां एक किरानी हो जाता हैं,तो पूरे इलाके में तहलका मचता हैं कि इस समाज से एक मुस्लिम धोबी का बेटा किरानी हो गया।

मुसलमान में हलालखोर हैं, तो हिन्दू में हलखोर हैं। महोदय, मैंने अपने अध्ययन में पाया, मैंने उनके साथ कई रातें गुजारी और मैंने देखा कि उनके मर्द, उनकी औरतें, उनके बच्चे और उनके जवान नगरपालिका में काम करते हैं, कॉरपोरेशन में काम करते हैं। सरकार ने भले ही कमाऊ पैखाने को कानून की किताब में खत्म कर दिया हैं, लेकिन वह अमल में हैं। वे अपने माथे पर मैला का कनस्तर लेकर, टीन लेकर घुमते हैं। उनको वह सहूलियत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनको लाल राशन कार्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मुसलमान होने के नाते या सिर्फ ईसाई होने के चलते उनको इन अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता हैं? यह तो वही बात हुई कि आप मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह एक तल्ख हकीकत है। यह एक छुपी हुई बात थी, लेकिन अब ये सामने चली आई हैं। वह नासूर वाली बात हमने कहीं कि वहीं बात हो गई हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए। यह सिर्फ 1901 की जनगणना की बात नहीं हैं। आप बुकानन साहब को जानते हैं। बुकानन साहब लिखते हैं कि मुसलमानों में मुल्लाजादा ना की एक जाति है। यह जाति गुलाम की जिन्दगी बसर करती हैं। किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति और गुलाम के बीच अन्तर्विवाह की अनुमित नहीं है। यहां तक कि एक मालिक और एक गुलाम स्त्री के संसर्ग से जब कोई बच्चा पैदा होता हैं, तो उस बच्चे को भी गुलामी की अवस्था से छुटकारा नहीं मिल पाता। ऐसी हालत में उस बच्चे के पिता का प्रयास होता हैं कि किसी तरह से उसका विवाह उसी जाति की खोटी नस्ल के परिवार में कर दिया जाए। इस तरह के बेटे-बेटियां की खरीद-बिक्री भी होती हैं। युवा महिलाओं की कीमत एक पुरूष के मुकाबले कहीं ज्यादा लगाई जाती हैं। इस तरह के जन्मे पुरूष बच्चों की कीमत जहां पांच रूपए मिलती हैं, वहीं एक लड़की 20 रूपए तक वे बेची जाती हैं। मुसलमानों की कतार में इन गुलाम महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ भोग-विलास के लिए होता हैं।

महोदय, यह सिर्फ बुकानन साहब की बात नहीं हैं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोट करना चाहता हं। उन्होने इस तल्ख हकीकत को देखा, उसको समझा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समझा। मैं महात्मा गांधी जी को कोट कर रहा हूं, जो उन्होने "हरिजन" पत्रिका में 26.12 1936 को लिखा हैं। वे क्या लिखते हैं? "Whether a Harijan is nominally a Christian, Muslim, or Hindu and now Sikh, he is still a Harijan. He cannot change his spots inherited from Hinduism so called. He may change his garb and call himself a Catholic Harijan or Muslim Harijan or Neo-Muslim or Neo-Sikh, his untouchability will haunt him during his lifetime." महोदय, आप देखेंगे कि जब हिन्दुस्तान का संविधान बन रहा था, उस समय सिर्फ हिन्दू को शिडयूल्ड कास्ट का स्टेटस था। हिन्दुस्तान की कंस्टीच्युएंट असेम्बली में सिखों ने यह आवाज उठाई थीं, कि उनके अन्दर भी दलित हैं, लेकिन उस समय यह बात नहीं मानी गई। बाद में उनकी बात को माना गया और तसलीम किया गया, उनको शेडयूल्ड कास्ट में शामिल किया गया। उसी तरह से आप देखेंगे, जब वी.पी. सिंह साहब की सरकार थी, तो उन्होने निओ-बौद्ध को वह स्टेट्स दिया। अब सवाल यह हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल लाकर के रखा हुआ था, नरसिंह राव जी के समय में, क्रिश्चियन को शेडयुल्ड कास्ट का दर्जा देने के लिए, उस बिल को ठंडें बस्ते में क्यों डाल दिया गया? मुसलमान ओ.बी.सी. हैं, मुसलमान जनरल कैटेगरी में हैं, मुसलमान शिडयुल्ड-ट्राइब हैं, लेकिन मुसलमान शिडयुल्ड कास्ट में क्यों नहीं हैं? इसमें जो शिडयूल्ड कास्ट की जातियां हैं, उनको शेडयूल्ड कास्ट बनाना होगा। इसलिए हम बिल का समर्थन करते हैं।

महोदय, मुसलमानों में जात-पांत की तफसील में नहीं जाना चाहता। मुसलमानों में यह कोई बीमारी हिंदुस्तान में नहीं हैं, यह बीमारी उसके उद्गम में भी हैं, उसके ओरिजन में भी हैं और यह कोई अनहोनी बात भी नहीं हैं। दुनिया के तमाम मुल्को में, मजहबों में ऊंच-नीच, छुआछुत का विभेद होता हैं। उसका नाम भले ही अलग-अलग हो। मैं कोट कर सकता हूं, "हिदाया" से यह किताब 593 हिजरी की हैं। उस समय तो हिन्दुस्तान से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कहना चाहता हं कि तीन शब्द हैं: - असलाफ हैं, जो अजलाफ हैं। अरजाल के मायने क्या होता हैं? अरजाल के मायने नीच होता हैं, अरजाल के मायने कमीना होता हैं, अरजाल के मायने निकृष्ट होता हैं।महोदय, यह उर्दू का शब्द नहीं हैं, यह फारसी का शब्द नहीं हैं, यह प्यारे और खालिस अरबी का शब्द हैं। इसलिए उनके शब्दकोश में जब इस तरह की बीमारी नहीं थी,तो उनके शब्द कोष में ये शब्द कहां से आये यह कोई अनहोनी बात नहीं हैं। हमारे पैगम्बर, जो हमारे आखिरी नबी ने इसकी लडाई उन्होने लडी। उनका आखिरी खुतबा जो हैं, वह हज्जतूल-विदा का खुतबा हैं। मौलाना ओबैदूल्लाह खान आजमी साहब यहां नहीं हैं, हम उनको बताना चाहते थे कि हमारे आखिरी नबी ने यह हिदायत दी थी कि न गोरे को काले को गोर पर, न अरब को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत या कोई सुपरमेसी हासिल नहीं हैं। अगर हैं, तो तकवा की बुनियाद पर हैं। लेकिन, जिस चीज को थानी हसद-नसद के मामले को जातीय गौरव के मामले को, गरूर के मामले को अपने पैर से रौंद दिया, उसको कुछ लोग अपने सिर का ताज बनाकर के घुमते हैं। ये ऐसे लोगों ने हिन्दुस्तान में भेदभाव को बनाकर रखा हैं। हम कहना चाहते हैं कि समाज में इस तरह का भेदभाव होता हैं, लेकिन जो सरकार होती हैं, जो हुकुमतें होती हैं, जो समाज के प्रबुद्ध न्यायाप्रिय लोग होते हैं, उनको इस सारी बातों पर ध्यान देन चाहिए। इसीलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

महोदय, हमारे यहां एक बिरादरी की नाम हैं भटियारा। आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि यह डेरोगेटरी शब्द हैं। हमारे यहां यह किसी बोलचाल की भाषा में नहीं आता हैं। जो अंदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है, उसमें यह दर्ज हैं। तो उस बिरादरी का नाम भटियारा है, जो डेरोगेटरी शब्द हैं एक बार पंडित नेहरू ने भटियारा शब्द का इस्तेमाल किया जब उनकी पार्टी के लोग आपसे में लड़ रहे थे। उन्होने कह दिया कि क्यों भटियारों की तरह लंड रहे हो? हमारे बिहार में सर्खियों में यह अखबार में छपा था। तो यह गाली-गालीज का शब्द हैं, लेकिन आप जानते हैं यह एक मुसलमानों की बिरादरी हैं। आप उसे शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेट्स क्यों नहीं देगे। इसी तरह एक बिरादरी है गदहेडी। अभी हाँ सिद्दिकी साहब नही है मै जब एम.पी नही था. उनसे मिलने के लिए उनके मोहल्ले में गया था। उनके मोहल्ले में एक हाजी गदहा साहब हैं, उस गदहेडी की बिरादरी से। महोदय,आपने देखा होगा, हमारे कई माननीय सदस्य जानते होंगे, हमारी मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, सासाराम से चुनकर आई हैं, सासाराम की गलियों में जाती होगी तो देखती होंगी कि पौ फाटने से पहले गधे की पीठ पर माटी, ईटा, मकान का मलबा लेकर खिच-खिच करते उस बिरादरी के लोग चलते हैं, ये जो ईटा, माटी, बालू ढोने का काम करते हैं। इनका नाम गदहेडी हैं। तो यहां शाहिद सिद्दिकी साहब के मोहल्ले की बगल में एक गदहेड़ी की बिरादरी का आदमी धनी हो गया,

कमा लिया, हज करके आया,तो हमारे समाज के लोगों ने उसका नाम रख दिया हाजी गदहा। तो यह एक सोच हैं और आपको इस पर विचार करना पड़ेगा।

महोदय, हमने बताया कि मुल्लाजादा क्या हैं? यह मुल्लाजादा, जो मुगल थे, जो नवाब थे, जो काजी थे, जो अमीर-उमरा थे, उनकी जो रखैंले थीं, उनसे उनके जो नायाजय औलादें थी, उनकी एक जाति बना दी। और आज वे शर्म से अपनी जाति का नाम भी नहीं बताते। मैं जब गया हाजीपूर, बिहार में और वहां मैंने कहा कि इस मुहल्ले में हम जाना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि तौबा-तौबा कहां जा रहे हैं, वह तो हरम बल्ला हैं। उस मोहल्ले का ही नाम हरम बल्ला हैं, यानी * की औलाद यहां रहते हैं। तो इस तरह का भेद-भाव हैं। तो क्या वह मुल्ला जादा शैड्युल्ड कास्ट में नहीं रहेगा, जिसको समाज इस तरह लाछित और अपमानित करता हैं? हलाल खोर की बात हुई, हलाल खोर को कई नाम से जाना जाता हैं- कहीं हेला कहा जाता हैं, कहीं होलैया कहा जाता हैं, कहीं हलवा कहा जाता हैं। उस नाम पर मोहल्ले बने हुए हैं। यह क्या हैं? यह हेलाना मोहल्ला हैं। तो महोदय, यह हलाल खोर बिरादरी के लोग हैं, ये * हैं, इनको शैड्युल्ड कास्ट का स्टेटस क्यों मिलेगा, इनको वह दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? इनको लाल बेगी भी कहा जाता हैं। कृमार सुरेश सिंह, देश के इतने बड़े एंथ्रोपॉलोजिस्ट हुए हैं, अभी हाल ही मैं उनका इंतकाल हुआ हैं, उन्होने अपनी किताब में लिखा हैं, उनसे मेरी जब व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी तो वे बता रहे थे कि ये लाल बेगा जम्मू कश्मीर में शैडयूल्ड कास्ट में आते हैं। हमारे भाई ने यह बिल ठीक रखा हैं अगर लाल बेगी जम्मू कश्मीर में शैड्यूल्ड कास्ट में हैं ता वे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में क्यों नहीं होगें? महोदय, कम से कम इस मामले में अंग्रेज हमारे ये ज्यादा ईमानदार थे और इस हकीकत को और सच्चाई को अम्बेडकर साहब ने समझा था। कुछ लोग अम्बेडकर साहब पर अंग्रेजों की तरफदारी की इल्जाम लगाते हैं। उन लोगों से हम कहना चाहते हैं। कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें धोबी, हलाल खोर, नट, बक्खों, पवडियो, मदारी भटियारा, ये तमाम बिरादरियों के लोग शैड्युल्ड कास्ट में थे। जब हमारा संविधान बना, उनको इससे डीबार कर दिया गया। आर्टिकल ३४१ में इस तरह की बात नहीं हैं, १९५० का जो प्रेजिडेंशियल आर्डर हैं, उसके जरिए इस तरह का भेदभाव हो रहा हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कांस्टिट्यशन के अमेंडमेंट की भी कोई जरूरत नहीं हैं, सिर्फ 1950 का जो प्रेजिडेंशियल आर्डर हैं, उसको वापिस ले लिया जाए तो सारे मजहबों के दलित एक हो जाएंगे और इससे देश की तरक्की करेगा और आगे बढेगा।

महोदय, यहां ऑस्कर फनार्डिस साहब बैठे हुए थे, शायद चले गए या पीछे बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैने अखबार में पढ़ा था कि ऑस्कर फनार्डिस साहब पार्लियामेंट्री ईसाई मैम्बर्स का एक वफद लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे कि उनके दिलतों को शैड्यूल्ड कास्ट का हक मिलना चाहिए। हम अगर देखें तो दक्षिण भारत के कई हमारे साथियों ने इस बिल का समर्थन किया

^{*} Expunged as ordered by the Chair

हैं, लेकिन हमें अफसोस होता हैं कि पार्लियामेंट में 36 मुसलमान एम.पी. हैं, यहां भी मुसलमान एम.पी. हैं और उनके समाज में यह दर्द, यह घाव और यह अपमान पल रहा हैं, लेकिन वे क्यों आवाज नहीं उठाते। हमारे उलमा-ए-दीन हमारे रिलीजियस लीर्डस इस बात को क्यों नहीं उठाते, यह हम कहना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस सवाल को टेक-अप करे और इसे प्राइवेट मैम्बर बिल की जगह सरकारी बिल कुबूल किया जाए, जिसे हम भी और सरकार भी पास करें।

महोदय, आप जानते हैं कि इस सवाल पर और कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं और आप यह भी जानते हैं कि इसाई समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका इस संबंध में दायर की थी और उस जनहित यचिका के तहत फैसला होगा, होने वाला था और ऐसा लग रहा था जिस तरह से कमेन्टस आ रहे थे जजेडा के ऐसा लग रहा था कि ईसाई समुदाय के हक में फैसला होग़ा मुस्लिम दलित के हक में फैसला होग लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने, अटार्नी जनरल ने कहा कि इस काम को हम करेंगे, यह सेंसेटिव मामला हैं, हमकों करने दीजिए आप कोई फैसला मत दीजिए और उसने रंगनाथ मिश्र कमीशन के हवाले इस काम को दे दिया। माननीय मंत्री महोदया यहां पर बैठी हुई हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई हैं, हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमिशन का जो टर्म्स ऑफ रैफरेंस हैं, वह गलत हैं, वह गैर-संवैधानिक हैं। जिस कमीशन का टर्म्स ऑफ रैंफरेस गैर-संवैधानिक है उसका कोई भी फैसला गैर संवेधानिक ही होगा। उसका टर्म्स ऑफ रैफरेंस क्या है। उसका टर्म्स ऑफ रैफरेंस हैं कि मुसलमानों के अंदर जो आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली या ऐजुकेशनली बैकवर्ड हैं, हम उनको रिजर्वेशन देंगे। बहुत सारे संविधानविद यहां हैं, हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, संविधान में कही भी उसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं हैं। यह सरकार मामले को डायल्यूट करने की कोशिश कर रही हैं। जिस कमिशन को दलित मुसलमानो का मामला रैफर किया गया हैं, हमें उस रंगनाथ मिश्रा कमीशन से कर्तई उम्मीद नहीं हैं कि कहीं हमें उससे न्याय मिलेगा, इसलिए इस बारे में सरकार को एक सैपरेट बिल लाना चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस मांग को दबाने के लिए, हालांकि अब यह मांग दबने वाली नहीं हैं, टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सारे मुसलमान पसमांदा हैं, सारे मुसलमानों को ओबीसी में लाइए। हम इस मांग की भी मुखाल्फत करते हैं। इस मुल्क के जो दिलत मुसलमान और दिलत ईसाई हैं, वे समझ रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार हैं, वहां पर आपकी सरकार ने मुसलमानों को पांच प्रतिशत रिजर्वेशन अलग से दिया हैं, लेकिन आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया और एक बार नहीं- दो-दो बार रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको उस मामले पर स्टे नहीं दिया हैं। इसलिए यह बात संविधान के खिलाफ हैं और

आप अपना कदम पीछे हटाइए। हम समझते हैं कि जो लोग भी टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं, सारे मुसलमान को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और यह हमारी मांग को दबाने के लिए हैं। उनकी नीयत में कहीं न कहीं खोट हैं। महोदय, जब यह मांग जोर पकड़ रही हैं, दलित मुसलमानों और दलित ईसाईयों की मांग जोर पकड़ रही हैं, तो इस मांग को दबाने के लिए कुछ लोग टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन का राग अलाप रहे हैं। महोदय, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और इसकी पीड़ा, इसकी वेदना कई तरह से उठ रही हैं। यह दीवार पर लिखी हुए एक इबारत हैं। इसी सवाल ने बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दिया हैं। हम कांग्रेस के भाईयों से कहना चाहते हैं कि दीवार पर लिखी हुई इस इबारत को आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, यूपी मे और पूरे देश में भी यह दोहराया जाएगा। यह एक खतरनाक खेल हैं सभी मुसलमानों को आरक्षण देने का जो लॉलीपॉप आप दिखा रहे हैं, वह नहीं होने वाला हैं और वह संविधान के खिलाफ हैं। कम से कम पिछड़े और दलित मुसलमान इसे बदर्शत करने वाले नहीं हैं। अगर आप मुसलमानों को न्याय देना चाहते हैं तो उन्हे शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दीजिए। आपकी चिंता यह हैं कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी घट रहीं हैं, आपकी चिंता हैं कि सरकारी नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी घट रहीं हैं, तो धोबी, हलालखोर, नट, बक्खोपवरिया, भटियारा, ये लोग भी मुसलमान हैं। अगर इनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस मिलेगा तो ये लोग भी रिजवर्ड सीट से खड़े होंगे,ये भी आईएएस या आई पीएस बनेंगे और जब तक समाज का सबसे निचला आदमी आगे नहीं बढ़ता हैं,महोदय, किसी भी समाज की तरक्की नहीं हो सकती हैं और कोई भी समाज तरक्की-याफ्ता नहीं बनता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और मंत्री महोदय आज ही इस सदन में इस बिल को सपोर्ट करें और इसे पारित करें ताकि जो मुसलमान एवं ईसाई हैं, उनको शेड्युल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जाए।

महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं और भी बातें कहना चाहता था, लेकिन तुरंत मुझे जाना हैं इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री मगनी लाल मंडल: महोदय, यह जो बिल है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस पर दो दिन बहस चली हैं और जब बागडोदिया साहब बोल रहे थे तो कई बिन्दुओं पर विवाद हुआ हैं। संविधान में जो व्यवस्था हैं तथा उसके अनुच्छेद-341 तथा 342 का इन्होने उल्लेख किया हैं। लेकिन इससे पहले अनुच्छेद-340 और 338 भी हैं। अनुच्छेद में व्यवस्था हैं-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग स्थाई रहेगा। उनकी दशा को देखने के लिए उनकी स्थिति को देखने के लिए। अनुच्छेद 340 में पिछडा वर्ग के लिए आयोग के गठन का प्रावधान हैं। अनुच्छेद-341 और 342 में यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। यह प्रोविजन क्यों करना पड़ा यह सबसे बड़ी बात हैं। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं कि अनुसूचित जाति की पीड़ा क्या हैं, अनुसूचित जनजाति की पीड़ा क्या हैं, अनुसूचित जनजाति की पीड़ा क्या हैं,

क्योंकि आज अगर यह व्यवस्था नहीं होती और संविधान के निर्माताओं ने इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया होता तो निश्चित रूप से और देश में आज इस बात को लेकर सिविल वार भी हो सकता था. लेकिन संविधान की व्यवस्था ने देश में सिविल वार को रोक दिया, फिर भी लोगों के जहन में यह बात नहीं उतरती हैं। महोदय, यह जो वर्ण व्यवस्था हैं, इस वर्ण व्यवस्था का जो कटघरा है वह- शोषण का कटघरा हैं और शोषण का कटघरा का आधार जातीय हैं, सामाजिक हैं, शैक्षणिक हैं और उसके बाद आर्थिक हैं। क्योंकि इस देश में जो श्रम हैं और अभी अनवर अली साहब चर्चा कर रहे थे टोले के बारे में और बागडोदिया साहब चले गए, जो बात समझ रहे थे कि श्रम का विभाजन भी इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही हुआ। जो जातियों के आधार पर श्रम का बंटवारा हुआ, गांव का बंटवारा हुआ, गांव के टोले का बंटवारा हुआ और उसी आधार पर मान और सम्मान का भी बटंवारा हुआ, क्योंकि जाति के आधार पर ही सम्मान का बंटवारा समाज में होता हैं। आदमी कितना बडा भी विद्वान क्यों न हो जाए, उसके पास कितनी ज्यादा प्रतिभा क्यों न हो जाए, योग्यता क्यों न हो जाए, क्षमता क्यो न हो जाए अगर वह निम्न जाति का है तो समाज में उसको उतना सम्मान नहीं मिलता हैं, यही तो सच्चाई हैं और कड़वा सच हैं वर्ण व्यवस्था का, इस बात को हमको और आपको समझना होगा। लेकिन यह जो बिल हैं, इस बिल में थोडी दिक्कत हैं जो माननीय सदस्य ने यहां बिल का उपस्थापन किया हैं, क्योंकि यह राज्य सब्जेक्ट हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए यह हैं कि एक आयोग बनेगा, अनुच्छेद -340 मे इसका उपबंध हैं। लेकिन 341 में जब तक राज्य से किसी जाति के बारे में अनुशसा हो करके यह सिफारिश नहीं आती हैं कि किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए अथवा नहीं, तब तक केन्द्र सरकार इस पर विचार नहीं करेगी। इसमें दो बातें कहीं गई हैं। एक बात तो यह कहीं गई हैं जो अभी बागडोदिया साहब ने कहा, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में नहीं कहा गया है कि असम में जो जातियां श्रमिक बनकर के चली गई थी और अविभाजित बिहार, उडीसा और बंगाल की उन जातियों को अपने मूल प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा दिया गया, लेकिन असम में यह दर्जा नहीं हैं। इसमें यह कहा अनुच्छेद-338 में जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग का, उसके तहत अब यह जो चन्दा आयोग, मतस्कर आयोग, हेवर आयोग, लोकर आयोग की जो चर्चा इन्होने की हैं, तो अनुच्छेद -338 के तहत जो आयोग हैं, उसी के अध्यक्ष ने दौरा किया होगा। उन्होने सिफारिश की और राज्य सरकार ने अनशंसा की। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद केन्द्र सरकार को इसको कार्यान्वित करना चाहिए था,लेकिन केन्द्र सरकार ने नहीं किया। तो इस बिल से सिर्फ उन जातियों का समाधान नहीं होता हैं। तो एक समाधान करने की बात हैं। महोदय, सिर्फ अनुसूचित जाति में ऐसी बात नहीं हैं। यह पिछड़ा वर्ग में भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी हैं कि एक जाति एक प्रदेश में अनुसूचित जाति हैं और वह जाति दूसरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मे हैं। जो जाति एक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग हैं, वह जाति दूसरे प्रदेश में ऊची जाति हैं यानि सामान्य कोटि की जाति हैं। यह

इसलिए होता हैं कि संविधान के अनुच्छेद में जो व्यवस्था की गई हैं, उसके आधार पर राज्य में जो आयोग बनता हैं, वह आयोग आईडेंटिफाई करता हैं कि कौन जाति किस जाति के तहत हैं, क्योंकि जाति का जो निर्धारण हुआ था पिछडा वर्ग का या जो दलित का, तो दलित के साथ मान्यताएं जुड़ी हुई थी। अब तेली जाति का उल्लेख बागडोदिया साहब ने किया कि तेली बनिया हैं, तो वह पिछडा क्यों हैं? महोदय, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हर जाति के बारे में कुछ न कुछ प्रथा जुडी हुई हैं। मवेशी कौन उठायेगा? ब्राह्माण नहीं उठायेगा,मवेशी सड़ जायेगा, लेकिन क्षत्रिय नहीं उठायेगा, तब ऐतराज होता हैं, कहता हैं मेघा की बात करो। हल कौन चलाएगा, हल कौन बनाएगा, यह जाति के आधार पर अर्थात कर्म श्रम पर आधारित हैं। लेकिन जब दलित और पिछडा कहते हैं कि हल चलाते हैं हम, श्रम करते हैं हम, तो हमको विशेष अवसर मिलना चाहिए, तो कहता हैं कि मेघा की बात करो। तेली के बारे में भी मान्यता हैं ब्राह्माणवादी व्यस्था में कि सुबह में अगर तेली को देखो, यात्रा बिगड जायेगी, यह कहावत हैं तेली को पछाड कर दांत देख ले, तब यात्रा शुभ हो जायेगी, क्योंकि तेली तो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, ये र्किवदंतियां हैं। हिन्दु धर्म की वर्ण व्यवस्था में सभी जातियों के लिए अपमान जनक यह कथा प्रचलित रही हैं। यह किसने बनाया, यह वर्ण व्यवस्था ने बनाया। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, यहां के लोगों ने बनाई, जो कि आज मेघा की बात करते हैं। महोदय, इसलिए अगर कोई जाति मुसलमान हो गई, तो इसके बारे में मैंने पहले उस दिन भी कहा था कि इस देश में धर्म बदलना आसान हैं, क्योकि धर्म तो एक हलफनामा से बदल जाता हैं, एक एफिडेविट से बदल जाता हैं, लेकिन जाति नहीं बदलती हैं, जाति पीछा करती हैं। जब मैं स्टेट में पार्टी का सेक्रेटरी था, तो मैं पश्चिमी चम्पारण के एक गांव में नेपाल के बार्डर पर गया। वहां पर मुझे एक जाति मिली जिसका नाम गद्दी था। मैं नहीं जानता था, मैं उसके दरवाजे पर गया, देखा कि भैंस हैं, देखा कि मोटा लट्टा लेकर के आ गया, हमारे यहां चांदी की हसंली महिलाएं ज्यादा पहनती हैं, हंसली जाट और गूर्जर की महिलाएं भी पहनती हैं, दूध ले आया, मट्ठा ले आया, घी ले आया, हमने कहा कि तुम कौन यादव हो, उसने कहा कि हम यादव नहीं हैं। हम यादव से बदलकर मुसलमान हुए हैं। हमारी जाति गद्दी हैं, लेकिन हमको पिछडा वर्ग की सविधा नहीं मिलती हैं। हम वही काम करते हैं जो यादव करते हैं, हमने धर्म बदल लिया हैं, लेकिन जात ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा हैं। हमारे यहां जो सब्जी पैदा करते हैं, उसका नाम हैं कुंजरा, अभी अनवर अली साहब बोल रहे थे, वह अब चले गये, ये भी जानते हैं कजरा। कजरा का मतलब हमारे यहां कहा जाता हैं कोयरी। कुंजरा और कोयरी में समरूपता हैं, कोयरी जो था, कुशवाहा जो था, वह कन्वर्ट कर गया कुजंरा में वह मुसलमान हो गया, जाति नहीं बदली, पेशा वही रहा सब्जी पैदा करने का, आज भी सब्जी पैदा करता हैं। इसलिए जो दलित मसलमान की बात नारायणसामी जी ने कही, जिस दलित मसलमान की बात अनवर अली जी ने की कि धर्म उन्होने बदल लिया हैं, धर्म जिन्होने बदला हैं और उन पर भारतीय जनता पार्टी वालो को गुस्सा आता हैं। गुस्सा क्यों आता हैं? आपके धर्म में बराबरी नहीं हैं, सिहष्णूता नहीं हैं, भाईचारा नहीं हैं, आपने सम्मान नहीं दिया, तो उन्होने अपने

सम्मान के लिए, इज्जत के लिए धर्म बदल लिया। आप आपने धर्म को ठीक कीजिए। हिन्दू धर्म में समानता लाइये। जब आरक्षण होता हैं तो आप कहते हैं?(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा) : वर्ण व्यवस्था पर हमारा धर्म बिल्कुल साफ हैं। ...(व्यवधान)... आप इस तरह की बात मत कीजिए।(व्यवधान).... अगर इस पर चर्चा करनी हैं, ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please (Interruptions)... Please. (Interruptions)...

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) : आप वोटों की राजनीति करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मगनी लाल मंडल : मैं राजनीति करता हूं। मैं वोट की बात करूंगा ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will get a chance. (Interruptions)...

श्री सुरेन्द्र लाठ: भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस प्रकार की बातचीत नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री मगनी लाल मंडल :वोट की बात नहीं करता, तो आप यहां नहीं आने देते। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन) : आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... Please. (Interruptions)... I will give you a chance. (Interruptions)...

श्री सुरेन्द्र लाठ : सबसे अधिक आप जात-धर्म की राजनीति करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मगनी लाल मंडल : लेकिन धर्म परिवर्तन ...(व्यवधान)... आप धर्म में बराबरी लाइये। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will get a chance (*Interruptions*)... Then you can reply. (*Interruptions*)... आपको चांस मिलेगा आप उसी समय रिप्लाई कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी : सर, वह हमको कोट कर रहे थे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will get a chance. Then you can reply. (Interruptions)... आपको चांस मिलेगा, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आपको टाइम मिलेगा।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : मंडल जी, ऐसा नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मांगनी लाल मंडल : माया जी, आप नहीं थीं। आप अभी आई हैं, आप चली गई थीं ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply when your chance comes. Mandalji, please address the Chair.

श्री मगनी लाल मंडल: उन्होने विरोध किया, धर्म-परिवर्तन का सवाल नहीं हैं, मैं वहीं बात कह रहा हूं कि जो मुसलमान दिलत हो गए, जो इसाई दिलत हो गए, उस पर उनको ऐतराज हैं। धर्म परिवर्तन पर बातें नहीं हो रही थीं। ...(व्यवधान)...

SHRI SHREEGOPAL VYAS; Sir, there is a personal reference to me. (Interruptions)

श्री सुरेन्द्र लाठ: हिंदू में वह भी हैं, लेकिन ...(व्यवधान)... ये मुस्लिम धर्म की वकालत करते हैं ...(व्यवधान)... मैं कहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: आप मुस्लिम धर्म का बता रहे थे। ...(व्यवधान)...

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Vyas, if you want. I will give you a chance. On your request, I have included your name. When you get a chance, you can reply. Let him finish. Be patient. Let him complete his speech. After that I will call you. You can reply to that later on. You will get a chance. Why do you create a problem?

श्री मगनी लाल मंडल : उनके प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान हैं, लेकिन असल में वे मेरी बात नहीं समझ रहे है।

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Mandal, please address the Chair. Don't try to provoke them..

श्री मांगनी लाल मंडल: महोदय, मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वास्तविक को आप समझिए। इस देश में मुसलमान बाहर से नहीं आए। मुसलमान यहीं बने हिंदू से, ईसाई यहीं बने। हूण बाहर से आए, आक्रमणकारी थे, विदेशी हमलावर आए, देश हारता रहा। इसीलिए हारता रहा कि आपने देश के बहुंसख्यक समाज को न तो सम्मान दिया, न आपने प्रतिष्ठा दी, न बराबरी दी और न राजकाज चलाने में हिस्सेदारी दी। यह बात मैं इनको कह रहा हूं कि धर्म लोग बदल लेते हैं, धर्म में समानता आप लाइए। हिंदू धर्म की वकालत कीजिए। मै भी कहता हूं, मैं हिंन्दू हूं, लेकिन मैं समानता चाहता हूं, मैं भाईचारा चाहता हूं।

श्री विजय कुमार रूपाणी : हम भी चाहते हैं।

श्री मांगनी लाल मंडल: यह बात आप क्यों नहीं कहते हैं? इसीलिए मेरा विषय यह हैं कि उनको धर्म परिवर्तन पर ऐतराज हैं, तो रहे, मैं उनका प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह कहना हैं कि

4.00 p.m.

धर्म बदलकर कोई दलित मुसलमान हो गया, कोई दलित ईसाई हो गया, तो आप उनको आरक्षण से कैसे वंचित करेंगे? आरक्षण का मतलब हैं विशेष अवसर। विशेष अवसर इसीलिए हैं कि यहां गैर-बराबरी हैं और जहां गैर-बराबरी होगी, वहां विशेषकर अवसर होगा, इसलिए आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जब सिक्खों में दलित है, उनको आरक्षण मिल रहा हैं, हिंदुओ में दलित हैं, उनको आरक्षण मिल रहा हैं, तो यदि वह दलित मुसलमान हो गया, वह दलित ईसाई हो गया, तो उसको आरक्षण क्यों मिल नहीं मिलेगा? इस पर आपको समर्थन करना चाहिए। इसीलिए महोदय, दो तीन बातें मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसका समाधान हो। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में परंतुक जोड़ने के लिए संशोधन दिया गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो हैं-

"The President (may with respect to any State or Union Territory) and where it is a State, after consultation with the Governor thereof...."

जब गवर्नर से कंसल्टेशन होगा, तो इसको मतलब हैं कि राज्य सरकार जब किसी जाति के लिए अनुशंसा देगी, तभी केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी। इसका मतलब हैं कि यह राज्य का विषय हैं और जो इसका नीचे का संशोधन है-

"Provided that the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities so specified by the President for a particular State or Union Territory shall have the same status..."

यह फूलफिल नहीं होता हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका और इस विधेयक के धारक सदस्य का जो संशोधन हैं, थोडा डिफेक्टिव हैं, क्योंकि स्टेट जब तक किसी जाति के लिए अनुशंसा नहीं करेगी, तब तक केन्द्र सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती हैं। फिर भी माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब देंगी। अपनी बात समाप्त करते हुए दूसरी बात मैं असम के बारे में कहना चाहंगा कि असम की राज्य सरकार ने उन तमाम जातियों के बारे में अनुशसा की हैं, जो जातियां अब झारखंड में, पहले के अविभाजित बिहार में अनुसूचित जाति रही हैं, जो जाति बंगाल में अनुसूचित जाति हैं, जो जाति उड़ीसा में अनुसूचित जाति हैं, उसको असम में अनुसूचित जाति का दर्जा देने की अनुशंसा की हैं। चाहुंगा कि सरकार इस पर विचार करे। इसके साथ ही इन्होने ये बातें भी कहीं हैं। श्री अनवर अली जी जनता दल (यू) से हैं, इन्होने यह बात भी कहीं हैं कि एनडीए की सरकार थी। बिहार राज्य सरकार ने कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए अनुशंसा की हैं। वह मामला बहुत दिनों से केन्द्र के पास लम्बित पड़ा हुआ हैं और एनडीए सरकार ने उसको लागू नहीं किया, जबकि उसको लागू किया जाना चाहिए था। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिहार में जो हम लोगों की पिछली आरजेडी की सरकार थी, उसने कुछ जातियों के लिए आयोग बनाकर, उसकी पहचान करके, उनकी सामजिक और शैक्षणिक स्थिति को

देखकर ही अनुशंसा की हैं। इनमें वे सात जातियां शामिल हैं। जब अनुसूचित जाति में अन्य जातियों को शामिल करने पर विचार हो, तब उन जातियों को भी इससे शामिल कर लें। महोदय, मैं अतं में यही कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर इसका समाधान प्राइवेट मैम्बर बिल से नहीं होता हैं, तो मंत्री जी तथा सरकार स्वयं इस बिल को स्वीकार कर ले और इसको मान ले। यदि एक रूपता के लिए, समरूपता के लिए संविधान में जो सम्यक संशोधन हो सकता हैं, तो वह संशोधन करें, तािक यदि कोई एक जाित किसी प्रदेश में अनुसूचित जाित हैं,तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाित का दर्जा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अनुच्छेद-340 के तहत जो जाित एक प्रदेश में अनुसूचित जाित हैं और दूसरे प्रदेश में वह पिछड़ा वर्ग में आती हैं, तो उसमें समरूपता लाई जाए, इस पर संशोधन लाने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, Shri Pawan Kumar Bansal has requested that since he has other urgent business, on behalf of Shri P. Chidambaram, he may be permitted to lay the Papers on the Table just now.

Notification of the Ministry of Finance

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) Sir, I lay on the table, under Section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 80/2006-Customs, dated the 11th August, 2006, seeking to amend Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, so as to reduce customs duty on crude palm oil, crude palmolein and other fractions of crude palm oil from 80% to 70% and on Refined Bleached Deodorized palm oils, Refined Bleached Deodorized palmoiein and other refined palm oils from 90% to 80%, together with an Explanatory Memorandum on the Notification.

[Placed in Library, See No. 4733/06.]

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004

(AMENDMENT OF ARTICLES 341 AND 342) — (Contd.)

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I rise to make a few comments on the observations made by our hon. colleagues. Somebody raised a question about Dr. Ambedkar. I want to remind Members that Dr. Ambedkar embraced